



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ 8, 1939

No. 161]

NEW DELHI, THURSDAY, 29, 2017/ASADHA 8, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सं. 9/2015—2020

विषय:- विदेश व्यापार (संशोधित) अधिनियम, 2015 (सं. 2015/9) के तहत

फा. सं. 01/93/180/07/एएम-18/पीसी-2(ख).— विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा पैरा 2.07(ख) (प्रक्रिया पुस्तक)—आईईसी संख्या से छूट प्राप्त श्रेणियों को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

आयात/निर्यात प्रयोजनों के लिए गैर-वाणिज्यिक पीएसयू और आयातकों/निर्यातकों की श्रेणियों द्वारा उनके नाम के सामने उल्लिखित निम्नलिखित स्थायी आईईसी संख्याओं का उपयोग किया जाएगा:—

क्रम सं.	मौजूदा स्थायी आईईसी	संशोधित स्थायी आईईसी संख्याएं	आयातक/निर्यातक की श्रेणी
1	0100000011	एएमडीसीजी0111ई	केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके द्वारा पूर्ण और आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियां
2	0100000029	एडीएसजीए0129ई	केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके द्वारा पूर्ण और आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियां
3	0100000037	डीसीयूएनओ0137ई	भारत में राजनयिक कार्मिक, वाणिज्यदूत अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी विशेषीकृत

			एजेंसियां के अधिकारी
4	0100000045	आईएबीबीआर0145ई	विदेश से लौटने वाले/विदेश जाने वाले और सामान के नियम के तहत लाभ का दावा करने वाले भारतीय
5	0100000053	आईआईएचआईई0153ई	व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल के आयात करने वाले/निर्यात करने वाले व्यक्ति/संस्थान /अस्पताल, जो व्यापार, अथवा विनिर्माण अथवा कृषि कार्य से न जुड़े हों
6	0100000061	आईआईईजीएन0161ई	नेपाल से/को आयात करने वाले/निर्यात करने वाले व्यक्ति
7	0100000070	आईआईईजीएम0170ई	इंडो-म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों से म्यांमार से/को आयात करने वाले/निर्यात करने वाले व्यक्ति
8	0100000088	आईएफएफआईई0188ई	फोर्ड फाउंडेशन
9	0100000096	एटीआईएफ1096ई	एटीए कार्नेट के प्रावधानों के तहत मेले/प्रदर्शनी या इसी तरह के कार्यक्रमों में प्रदर्शन अथवा उपयोग के लिए वस्तुओं का आयात करने वाले आयातक। इस आईईसी संख्या का प्रक्रिया पुस्तक के ijk 2-63 के अनुसार प्रदर्शनी/मेले के लिए आयात करने वाले आयातक द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है।
10	0100000100	आईडीएनबीजी1100ई	निदेशक, राष्ट्रीय रक्त समूह
11	0100000126	आईसीआईआरएन1126ई	वस्तुओं का आयात करने वाले व्यक्ति/धर्मार्थ संस्थान/पंजीकृत एनजीओ जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ितों द्वारा प्रामाणिक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
12	0100000134	आईआईईजीसी1134ई	उपर्युक्त ijk 2-07(d) में दिए गए अनुसार एकल माल की मूल्य सीमा के अधीन गुंजी, नामगया, शिपकीला और नथुला पत्तन द्वारा चीन से/को समय-समय पर यथा संशोधित अनुमत माल का आयात करने वाले/निर्यात करने वाले व्यक्ति।
13	0100000169	एनसीआईईई1169ई	कंपनियों द्वारा गैर-वाणिज्यिक आयात और निर्यात जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

2. I kołtfud I puk dk i hkkko% दिनांक 1.7.2017 से लागू होने वाली स्थायी आईईसी संख्या को उपर्युक्त के अनुसार संशोधित किया गया है।

ए.के.भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th June, 2017

No. 9/(2015—2020)

Subject:- Modification in para 2.07 (b) of Handbook of Procedure (2015-20) -regd.

F. No. 01/93/180/07/AM-18/PC-2 (B).— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby modifies para 2.07 (b) (Handbook of Procedure) – IEC Number Exempted Categories as under:—

Following permanent IEC numbers shall be used by non – commercial PSUs and categories or importers / exporters mentioned against them for import / export purposes:

Sr. No.	Existing Permanent IEC	Revised Permanent IEC numbers	Categories of Importer / Exporter
1	0100000011	AMDCG0111E	All Ministries / Departments of Central Government and agencies wholly or partially owned by them.
2	0100000029	ADSGA0129E	All Ministries / Departments of any State Government and agencies wholly or partially owned by them.
3	0100000037	DCUNO0137E	Diplomatic personnel, Consular officers in India and officials of UNO and its specialised agencies.
4	0100000045	IABBR0145E	Indians returning from / going abroad and claiming benefit under Baggage Rules.
5	0100000053	IIHIE0153E	Persons /Institutions /Hospitals importing or exporting goods for personal use, not connected with trade or manufacture or agriculture.
6	0100000061	IIEGN0161E	Persons importing/exporting goods from /to Nepal
7	0100000070	IIEGM0170E	Persons importing / exporting goods from / to Myanmar through Indo-Myanmar border

			areas
8	--	IIEGB0180E	Persons importing/exporting goods from /to Bhutan
9	0100000096	ATAEF1096E	Importers importing goods for display or use in fairs/ exhibitions or similar events under provisions of ATA carnet. This IEC number can also be used by importers importing for exhibitions/fairs as per Paragraph 2.63 of Handbook of Procedures
10	0100000100	IDNBG1100E	Director, National Blood Group
11	0100000126	ICIRN1126E	Individuals /Charitable Institution /Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under Notification issued by Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity.
12	0100000134	IIEGC1134E	Persons importing/exporting permissible goods as notified from time to time, from /to China through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports, subject to value ceilings of single consignment as given in Paragraph 2.07 (a) above
13	0100000169	NCIEE1169E	Non-commercial imports and exports by entities who have been authorized by Reserve Bank of India.

2. **Effect of Public Notice:** The Permanent IEC numbers to be effective from 1.7.2017 have been revised as above to migrate to alpha-numeric format.

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade